दिनांक 03.04.2023 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत "वृक्ष सुरक्षा योजना" की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	डॉ० गोपाल सिह, भा०व०से०,	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	अध्यक्ष
2.	डॉ० गोपाल सिह, भा०व०से०,	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	सदस्य
3.	श्री एस० सुधाकर, भा०व०से०	वन संरक्षक, गया अंचल, गया	सदस्य
4.	श्री अम्बरीष कुमार मल्ल, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	सदस्य सचिव
5.	श्री राज कुमार एम०, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	सदस्य सचिव
6.	श्री संजीव रंजन, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा	सदस्य सचिव
7.	श्री राजीव रंजन, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	सदस्य सचिव
8.	श्री शशिकांत कुमार, भा०,व०से०,	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	आमंत्रित सदस्य

कार्यवाही :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.10.2019 द्वारा गठित समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। उक्त बैठक में वन प्रमंडल पटना/भोजपुर/गया/नवादा वन प्रमंडलो के तहत वनभूमि/सरकारी गैर वनभूमि पर अवस्थित वैसे वृक्षों, जिनका पुनर्स्थापन/पातन अनिवार्य/अपरिहार्य हो गया है, उनके पुनर्स्थापन/पातन पर विचार हेतु उक्त प्रमंडलों के अधीन निम्न परियोजनाओं के लिए वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection plan) प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:–

गया वन प्रमंडल

1. Gaya Airport, Gaya के विस्तार में सड़क निर्माण में बाधक बन रहे 03 पेड़ को विधिवत स्थानांतरण/पातन के संबंध में।

गया जिलान्तर्गत Gaya Airport, Gaya के विस्तार में सड़क निर्माण में बाधक बने कुल 03 पेड़ को विधिवत स्थानांतरण/पातन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया का पत्रांक 1280 दिनांक 13.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	Gaya Airport, Gaya	Gaya Airport, Gaya के विस्तार में सड़के निर्माण में बाधा बन रहे 03 पेड़ को विधिवत स्थानांतरण/पातन	03	0	0	03	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा सूचित किया गया है कि 100 से०मी० से उपर गालाई वाले वृक्षों का पातन आवश्यक है।

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोंपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 03 वृक्षों को पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेंसी के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्ययं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

12. भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव में बाधक बने वृक्षों को पातन किये जाने के संबंध में।

भोजपुर जिलान्तर्गत भारतमाला परियोजना के तहत् पटना एवं भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा द्वारा स्थलीय निरीक्षणोपरांत उनके पत्रांक 801 दिनांक 23.03.2023 द्वारा प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा बताये गये बैठक में तथ्यों के अनुसार पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पटना।	आरा–सासाराम (सकलास–पतरा) (40.45–84.30 कि०मी०) पथांश चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव 1980 के तहत् 1.964 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव	**4177**	**3500**	**0**	**677**	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 4177 वृक्षों में से 3500 वृक्षों के पुनर्स्थापन एवं 677 वृक्षों के पातन के कार्य परियोक्ता एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन/पातन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
5. पातन, लौगिग कर (काष्ठ एवं जलावन) वनागार तक पहुँचाने एवं लॉट निर्माण का समस्त व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा।

13. वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा के परिसर में चिकित्सालय निर्माण हेतु हो रहे वृक्षों के अवैध पातन का प्रस्ताव।

भोजपुर जिलान्तर्गत वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा के परिसर में चिकित्सालय निर्माण में किये गये क्षतिग्रस्त वृक्षो के स्थलीय जांच हेतु वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर के द्वारा निरीक्षणोपरान्त जांच प्रतिवेदन के आधार पाया गया हैं कि 5711 पौधें (जो कि 3–4 वर्ष पुराने हैं) जिसे प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुये प्रयोक्ता एजेंसी को कार्य

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	उप महाप्रबंधक बियाडा, पटना कलस्टर–2 औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्र–13 मुख्यालय– प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–80004	औद्योगिक क्षेत्र, नवानगर में Flexible Pre-Cast RCC Drain & Street Light में बाधक वृक्षों के पातन/पुनर्स्थापन	309	25	38	246	सूखे हुए वृक्षों की संख्या 34

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोंपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. दिनांक–29.03.2023 को हुये बैठक में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के आलोक में अधिक से अधिक वृक्षों के संरक्षण के लिए सड़क मार्ग के संरेखण में संशोधन किया जाय।
2. काले हिरणों के संरक्षण हेतु आवश्यक क्षेत्र को चिन्हित कर प्रयोक्ता एजेंसी से आवश्यक भूमि वन विभाग को आवंटन के साथ प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता हैं।
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, आरा को निर्देशित किया जाता हैं कि अगली बैठक में संशोधित प्रस्ताव का स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

अन्यान्य

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में गठित "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) समिति द्वारा पटना परिक्षेत्र के अधिन सभी प्रमंडल के पुनर्स्थापन/पातन का निर्णय लिया गया। क्षेत्र भ्रमण तथा सूचनाओं के आधार पर देखा जा रहा है कि "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) के तहत पुनर्स्थापित किये गये पौधों की उत्तरजीविता बहुत ही कम रह रही है।

आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित स्थल पर भ्रमण करेंगे तथा प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये वृक्षों की पुनर्स्थापन की उत्तरजीवितता से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को माह के अंत तक अवगत करायेंगे ताकि उत्तरजीविता प्रतिवेदन को उच्चाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया जा सके।

बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमंडल, पटना	वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमंडल, आरा	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल, नवादा
वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	वन संरक्षक, गया अंचल, गया	03.04.23 वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	03.04.23 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना

114

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार

कार्यालय–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।

राईडिंग रोड (पीर अली मार्ग), अरण्य भवन, द्वितीय तल, पटना–800014
दूरभाष संख्या–0612-2226144; ई–मेलः patnarccf@gmail.com

ज्ञापांकः– 316 पटना, दिनांकः–24/04/2023 ई०।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/गया अंचल, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना वन प्रमण्डल, पटना/भोजपुर/गया एवं नवादा को दिनांक 03.04.2023 को आहुत ''वृक्ष सुरक्षा योजना'' की बैठक की कार्यवाही के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारर्वाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त

23/4/23

(डॉ० गोपाल सिंह)